दिनांक 04/02/2024 को देहरादून पुलिस ने नाबालिक बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को 03 घन्टे में किया गिरफ्तार।

दिनांक 03/02/2024 को कोतवाली डोईवाला पर थाना डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत निवासी महिला शिकायतकर्ता द्वारा प्रा0पत्र दिया कि आफताब नाम का लडका उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर स्कूल से छुट्टी दिलाकर अपने साथ कहीं ले गया है। जिस पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0 35/24 धारा- 363 भादवि बनाम आफताब पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता को सकुशल बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक डोईवाला आवश्यक निर्देश दिए गये, जिसके क्रम मे थाना डोईवाला स्तर पर पुलिस टीम गठित करते हुए स्थानीय सूचना तन्त्र को सक्रिय कर घटनास्थल के आस-पास व संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उच्चस्तरीय सुरागरसी-पतारसी की गई। गठित टीम द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से दिनांक 03.02.24 को हरिद्वार रोड सतनाम ढाबा के पास नून्नावाला,डोईवाला से अभियुक्त आफताब पुत्र शहजाद निवासी- लक्सर जनपद हरिद्वार हाल निवासी- केशवपुरी बस्ती, थाना डोईवाला देहरादून, उम्र 19 वर्ष के कब्जे से अपहृता/पीडिता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पीडिता/अपहृता के बयानो मे अभियुक्त द्वारा अपहृता/पीडिता के साथ शारीरिक सम्बन्ध (बलात्कार) बनाये जाने पर अभियोग में धारा 376(3) भादवि व ¾ पोक्सो की वृद्धि की गयी। अभियुक्त अपहृता को साथ लेकर उक्त घटना को अंजाम देकर गिरफ्तारी से बचने के लिए डोईवाला से अपने मूल निवास लक्सर भागने की तैयारी मे था। डोईवाला पुलिस द्वारा घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मात्र 03 घन्टे की अल्पावधि मे अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपहृता को सकुशल बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तः-

आफताब पुत्र शहजाद निवासी- लक्सर जनपद हरिद्वार हाल निवासी- केशवपुरी बस्ती, थाना डोईवाला, देहरादून, उम्र 19 वर्ष।

पुलिस टीमः-(1)- म0उ0नि0 प्रीति सैनी, (2)- हे0का0 सुधीर सैनी, (3)- कानि0 अनुज कुमार, (4)- म0का0 रचना रावत